

कार्यवाही  
की  
हुए

तारीख  
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुकम की तामील  
में जारी हुए

15.7.22 पत्रावली आज पेश हुई

दोनों पक्षों के वकील उपस्थित। दोनों पक्षों के वकील बतस क इप्सर बतले हं इप्सर दिया, जप्सर पत्रावली पसेन बतस दिनांक 01.08.22 को पेश हो

सुप्रीम कोर्ट  
दिल्ली (10/11)

01.08.22 पत्रावली आज पेश हुई

दोनों पक्षों के वकील उपस्थित। दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की बतस सुनी गई। दरिसे बतस प्राधीगण के अधिवक्ता द्वारा माफिक प्राधीन पत्र में अंतिम अनुसार प्राधीगण क खेव सपसरा संख्या 035 सून 0.4696 डिप्लेयर किस्म खेव में प्राधीन पत्र के संपन्न परिशिष्ट 'अ' अनुसार माफिक के 0 नरिगपाल अनुसार सपना होचित केने के ह निवेदन किया गया, विपक्षीगण अधिवक्ता द्वारा प्राधीगण के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्राधीन पत्र के संपन्न करने के निवेदन किया गया कि नरखीलदार सिवाना द्वारा प्रेषित रिपोर्ट अनुसार प्राधीगण क खेव में अप्रामन लेहु अन्य पैसिफिक सस्ता माफिक के असा प्राधीगण का प्राधीन पत्र मयतर्जिना सपसिज करमाया जाये


दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की बतस सुनी नरखीलदार सिवाना द्वारा प्रस्तुत माफिक रिपोर्ट दिनांक 24.09.2021 क गवर्नर से अपलेहन हं च मनन किस्म नरखीलदार सिवाना द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार प्राधीगण क खेवदारी खेव में अप्रामन लेहु सस्ता उपलब्ध हो जो कि माफिक पर परिशिष्ट 'अ' से C से फुडर D से E के रूप में दर्शाया गया है जो कि माफिक पर चालू है। प्राधीगण द्वारा चला गया सस्ता किन्दु संख्या अ से 8 के महस्य पत्रका निमीण है किन्दु संख्या अ से 8 की लम्बाई 174 गज का व

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

अहकाम हुकम को में जारी हुए

तारीख हुकम

जबकि नहरीपदार सिवाना द्वारा प्रेषित रिपोर्ट क्रमांक  
 एके ए के लम्बाई 162 गजों के जो मुद्दे संख्या  
 जगतपुरा के नहरीपदार सिवाना द्वारा प्रस्तुत  
 रिपोर्ट के अध्ययन के बाद ज्ञात होगा कि  
 प्राथमिक के जोर बुझि में आवागमन के लिये कुल  
 वरिष्ठ संस्था मोपुद के जिक्र के लम्बाई प्राथमिक  
 द्वारा चोहे गये संस्था के काम के तथा प्राथमिक  
 द्वारा चोहे गये संस्था पर पक्का निर्माण कार्य  
 ही नहरीपदार सिवाना द्वारा प्रस्तावित विन्दु संस्था  
 C के D और D के E के खेत दोरे के प्राथमिक  
 द्वारा पक्का नहीं बनाया गया है  
 अतः अपरोक्त विवेचना के आधार पर प्राथमिक के  
 प्रार्थना पर स्वीकृत किया जाता है कि प्रस्तावित  
 लुमार लेकर दाखिल दफ्तर को

३०... ११५  
  
 उपखण्ड अधिकारी  
 (S.D.O.) सिवाना